पत्रांक–13/SBM-14/2025 न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
(नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय)

प्रेषक,

विनय कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–

विषय :– **बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 में वर्णित प्रावधान के आलोक में भूमि क्रय करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक-160 दिनांक-29.05.2026, विभागीय पत्रांक-348 दिनांक-05.02.2026, पत्रांक–3503 दिनांक–22.09.2025 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3391 दिनांक–11.09.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में सूचित करना है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कम्पोस्ट प्लांट, एम०आर०एफ०, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सीवेज/सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, शौचालय इत्यादि के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है। साथ ही कई महत्वपूर्ण विभागीय योजनाएं एवं कार्यों, जिसकी स्वीकृति प्राप्त है, और राशि भी उपलब्ध है परन्तु भूमि अनुपलब्ध रहने के कारण कार्यान्वित नहीं हो पा रही है।

2. तदालोक में विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संकल्प ज्ञापांक-3391 दिनांक-11.09.2025 द्वारा सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में सतत् लीज पर नगर निकायों में विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भूमि प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय पत्रांक–3503 दिनांक–22.09.2025 द्वारा प्रेषित है।

3. इसी क्रम में **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-160 दिनांक-29.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 निर्गत** है, जिसमें वर्णित है कि भू धारकों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किया जाएगा।

4. उक्त संकल्प की कंडिका-4 (क) में लघु परियोजनाओं हेतु क्रय की जाने वाली भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ तक है के लिए जिला स्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष संबंधित जिला के समाहर्त्ता है।

5. साथ ही संकल्प कंडिका-4(ख) में मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं हेतु क्रय किये जाने वाली भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ से अधिक है के लिए प्रमंडल स्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त है।

6. भूमि क्रय हेतु गठित उक्त दोनों कमिटी में संबंधित विभाग के नामित या अधिकृत पदाधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। इस हेतु विभाग की ओर से संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया जाता है।

7. ज्ञातव्य हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No.-6174/2023, Bhopal Municipal Corporation Vs. Dr. Subhash C. Pandey & Others. एवं NGT के मूल आवेदन संख्या-606/2018 में भी न्यायालय द्वारा निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसपर आवश्यक दिशा-निर्देश विभागीय पत्रांक-921 दिनांक-20.03.2026 एवं पत्रांक-1562 दिनांक-12.05.2026 द्वारा पूर्व से ही निर्गत है।

8. अत: विभागीय पत्रांक-348 दिनांक-05.02.2026 द्वारा प्रेषित जिलावार भूमि उपलब्धता की स्थिति की अविलम्ब समीक्षा करते हुए नगर निकायों में उक्त कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि स्वच्छता से संबंधित व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सके।

9. इस कार्य के लिए भूमि का चयन करीब 30 वर्षों तक के उपयोग को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन में कोई कठिनाई नहीं हो। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जल स्रोत दूषित नहीं हो तथा पर्यावरण में प्रदूषण नहीं हो तथा चयनित भूमि आवासीय बस्ती से दूर हो और भूमि का चयन एवं उसका मूल्य उपयोगिता के उद्देश्य के दृष्टिकोण से उचित एवं तर्कसंगत हो।

<u>अनु०-यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक- 2070 दिनांक-03/6/26

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं पंचायत/ सभी लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026
संकल्प

1. केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/निकायों को उनकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये समय–समय पर रैयती भूमि की आवश्यकता होती है। भू–अर्जन की प्रक्रिया में लगने वाले समय और लागत को बचाने एवं लोकहित की परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित करने हेतु प्रतिफल का भुगतान करके भू–धारकों (भू–स्वामियों) की आपसी सहमति से भूमि प्राप्त की जा सकती है। आपसी सहमति से राज्य सरकार द्वारा भूमि धारकों से भूमि क्रय करना कई परिस्थितियों में दोनों पक्षों के साथ–साथ व्यापक लोकहित में भी लाभकारी है।

2. भारत सरकार द्वारा भू–अर्जन अधिनियम, 1894 को निरस्त करते हुए **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन 2013)"** प्रख्यापित किया गया है जो कि 01.01.2014 से प्रभावी है। इस अधिनियम की धारा 46 में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों की दशा में सीधे भूमि क्रय करने पर उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन संबंधी लाभ दिये जाने एवं क्रय की कार्यवाही समाहर्त्ता के माध्यम से करने की व्यवस्था है।

3. भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में अतिशय समय एवं श्रम साध्य होने के कारण रैयतों से सीधे भूमि क्रय करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/निकायों के लिए भू–स्वामियों से सीधे भूमि क्रय किये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए **"बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026** विनिश्चित की जाती है, जिससे लोकहित की सभी (लघु, मध्यम एवं वृहद) परियोजनाओं हेतु संबंधित अधियाची (प्रशासी)/क्रय निकाय द्वारा भूमि सीधे रैयतों से क्रय की जा सकती है।

4. (क) लघु परियोजनाओं हेतु:–

(i) केन्द्र/राज्य के विभागों/निकायों द्वारा लघु परियोजनाओं अर्थात ऐसी परियोजनाएं जिनमें परियोजना के लिए क्रय की जाने वाली भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत–रु० 100.00

करोड़ तक है, जिसमें सभी आस्तियां सन्निहित हैं, के लिए परियोजनावार/जिलावार भूमि की दरों की स्वीकृति एवं कुल भूमि मूल्य की स्वीकृति हेतु संबंधित जिले के समाहर्त्ता की अध्यक्षता में **"जिलास्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति"** का गठन निम्नवत किया जाता है:–

1	समाहर्त्ता	अध्यक्ष
2	अपर समाहर्त्ता (राजस्व)/उप विकास आयुक्त	सदस्य
3	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचलाधिकारी	सदस्य
4	जिला वन पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
5	जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक	सदस्य
6	भवन/पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता	सदस्य
7	जिस विभाग/संस्थान के लिए भूमि क्रय की जानी है, द्वारा नामित/अधिकृत पदाधिकारी	सदस्य सचिव

(ख) **मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं हेतु**

(i) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं अर्थात ऐसी परियोजनाएं जिनमें परियोजना के लिए क्रय की जाने वाली भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत–रु० 100.00 करोड़ से अधिक है, जिसमें सभी आस्तियां सन्निहित हैं, के लिए भूमि की दरों की स्वीकृति एवं कुल भूमि मूल्य की स्वीकृति परियोजनावार/प्रमंडलवार करने हेतु संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में रैयती भूमि के क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य की स्वीकृति हेतु **"प्रमंडलस्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति"** का गठन निम्नवत किया जाता है:–

1	प्रमंडलीय आयुक्त	अध्यक्ष
2	समाहर्त्ता/ अपर समाहर्त्ता (राजस्व)/उप विकास आयुक्त	सदस्य
3	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचलाधिकारी	सदस्य
4	जिला वन पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
5	जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक	सदस्य
6	भवन/पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता	सदस्य
7	जिस विभाग/संस्थान के लिए भूमि क्रय की जानी है, द्वारा नामित/अधिकृत पदाधिकारी	सदस्य सचिव

5. (i). अधियाची (प्रशासी) विभाग/क्रय निकाय द्वारा नामित सदस्य जो कि समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। उनके द्वारा समिति की बैठकों का संचालन किया जायेगा एवं बैठक की कार्यवाही अभिलेखबद्ध रूप में संधारित करेंगे।

(ii). "**जिलास्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति**" द्वारा भूमि क्रय करने के प्रस्ताव/संदर्भ/आवेदन पत्र पर **एक माह के अन्दर** क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का विनिश्चय करते हुए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित करेंगे। विलंब की स्थिति में समाहर्त्ता अपने स्पष्टीकरण के साथ प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित करेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्रस्ताव को 15 दिनों के अन्दर अनुमोदित किया जायेगा। 15 दिनों के अन्दर प्रस्ताव अनुमोदन नही हो पाने की स्थिति में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा स्पष्टीकरण के साथ प्रस्ताव **अधियाची (प्रशासी) विभाग/क्रय निकाय** को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(iii). "**प्रमंडलस्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति**" द्वारा भूमि क्रय करने के प्रस्ताव/संदर्भ/आवेदन पत्र पर **एक माह के अन्दर** क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का विनिश्चय करते हुए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु संबंधित **अधियाची (प्रशासी) विभाग/क्रय निकाय** को प्रेषित करेंगे। 15 दिनों के अन्दर प्रस्ताव अधियाची (प्रशासी) विभाग/क्रय निकाय द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

6. उपरोक्त दोनो समितियां क्रय की जाने वाली भूमि के विवाद रहित एवं भार रहित होने का परीक्षण भी करेगी। इस हेतु समितियां भूमि की स्थलीय जाँच हेतु यथावश्यक किसी भी विभाग/अधिकारी से सहयोग प्राप्त कर सकेगी। साथ ही भूमि के दर एवं मूल्य के निर्धारण करने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों की प्रति–परीक्षा भी कर सकेगी।

7. उपरोक्त दोनो समितियां निम्नलिखित सिद्वान्तों के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि का दर एवं भूमि का कुल मूल्य, जिसमें भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्य, खड़ी फसलों, वृक्षों एवं संबंधित अनुषांगिक व्यय (यदि कोई हो, भी सम्मिलित है) का अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत अनुमोदन कर सकेगी।

(i) **बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु**।–उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, क्रय किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि के आस–पास परियोजना प्रारम्भ होने अथवा परियोजना के अनुमोदन से 03 वर्ष पूर्व तक के निष्पादित विक्रय विलेखों में अंकित भूमि की दर का औसत अथवा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित सर्किल दर (MVR), जो अधिक हो को अपनाया जायेगा।

(ii) इस नीति के तहत प्राप्त की जानेवाली भूमि का किस्म/प्रकृति का निर्धारण उस क्षेत्र विशेष की भूमि के निबंधन के लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित किस्म/प्रकृति के अनुसार किया जायेगा।

(iii) भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों/फसल/वृक्ष इत्यादि के मूल्य का निर्धारण समिति द्वारा यथावश्यक परिसम्पत्तियों का आंकलन एवं मूल्य का निर्धारण जिला वन पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी एवं कार्य विभागों के जिले में कार्यरत कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी द्वारा कराया जा सकेगा।

(iv) **क्रय की जाने वाली भूमि की दर शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर (MVR), जो भी अधिक हो, के दो गुणे और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर (MVR) जो भी अधिक हो, के चार गुणे के समतुल्य होगी, जिस पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिफल प्रोत्साहन की राशि के रूप में देय होगा। अगर कोई निवेशक रैयतों से सीधे भूमि क्रय करना चाहता हो तो इसी नीति से क्रय कर सकेगा।**

(v) संबंधित भू–स्वामियों से भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र (एकरारनामा/एग्रीमेंट– मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र) पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

(vi) इस नीति के तहत प्राप्त की जानेवाली भूमि स्टाम्प/पंजीयन शुल्क से मुक्त होगी।

8. संबंधित अधियाची (प्रशासी) विभाग/क्रय निकाय, समाहर्त्ता द्वारा नामित अधिकारियों के सहयोग से भू–स्वामियों से वार्ता कर आपसी सहमति के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि के भू–अभिलेखों के अनुसार स्वामित्व आदि के सम्यक परीक्षण एवं जांचोपरान्त विवादरहित एवं भारमुक्त होने की दशा में भूमि के बाजार मूल्य एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन संबंधी अन्य लाभों का संज्ञान लेते हुए संबंधित भू–स्वामियों की लिखित सहमति सहित क्रय की जाने भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का युक्तिसंगत एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें क्रय की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल और

भूमि का अन्य विवरण (यथा–भूमि का किस्म/प्रकृति, खाता, खेसरा, रैयत का नाम, चौहद्दी इत्यादि की विवरणी) शामिल हो।

9. क्रय की जाने वाली भूमि का दर एवं कुल भूमि मूल्य पर अनुमोदन के उपरान्त एवं विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व संबंधित अधियाची (प्रशासी) विभाग/क्रय निकाय द्वारा रैयतों से प्राप्त की जाने वाली भूमि की रैयतवार/खेसरावार विवरणी, जिसमें भूमि का रकवा, किस्म/प्रकृति, कुल देय राशि इत्यादि पर निम्नानुसार सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा:–

सीधे भूमि क्रय किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य		समिति (अनुमोदन हेतु)	स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार
1	रू0 100 करोड़ तक	जिलास्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति	प्रमंडलीय आयुक्त
2	रू0 100 करोड़ से अधिक	प्रमंडलस्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति	प्रशासी/क्रय निकाय

10. उपरोक्त कंडिका–8 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त अधियाची (प्रशासी) विभाग/क्रय निकाय द्वारा भू–स्वामी से विक्रय विलेख निबंधित कराकर भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त कर सकेगा। अधियाची (प्रशासी) विभाग/क्रय निकाय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय की गई भूमि का नामान्तरण अधियाची (प्रशासी) विभाग/क्रय निकाय के पक्ष में ससमय करा लिया जायेगा।

11. समिति द्वारा विनिश्चित की गयी दरों एवं कुल भूमि मूल्य के संबंध में सम्बन्धित क्रय करने वाले निकाय की सहमति न होने की दशा में अथवा दरों पर भू–स्वामियों और क्रय करने वाले निकाय के मध्य किसी विवाद अथवा समझौते के अनुपालन को लेकर कोई बिन्दु उत्पन्न होता है तो संबंधित समिति के समक्ष क्रय निकाय द्वारा तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर समिति द्वारा निर्णय लेकर समाधान किया जायेगा और उपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

ह०/–
(सीमा त्रिपाठी)
सचिव।

337

ज्ञापांक–08/नीति (रैयती भूमि क्रय)–07–02/2026– (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 के साथ) को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

ह0/–
(सीमा त्रिपाठी)
सचिव।

ज्ञापांक–08/नीति (रैयती भूमि क्रय)–07–02/2026– 160 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक– 29.05.26

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय सचिव के आप्त सचिव / सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की दिनांक–27.05.2026 की बैठक के मद संख्या–05 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/26
(सीमा त्रिपाठी)
सचिव।

पत्रांक–13 / SBM (न्याय०)-7-11 / 2026 921 न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
(नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय)

प्रेषक,

रंजन कुमार चौधरी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् / सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 2.1.03.26

विषय– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 6174/2023, Bhopal Municipal Corporation vs. Dr. Subhash C. Pandey & Others. में दिनांक–19.02.2026 को पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 का ससमय अनुपालन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 6174/2023, Bhopal Municipal Corporation vs. Dr. Subhash C. Pandey & Others. में दिनांक–19.02.2026 को राज्य / जिला एवं नगर निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 के अनुपालन हेतु निदेश पारित किये गये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में जिला एवं नगर निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 के अनुपालन हेतु निम्न कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है–

क्र० सं०	दिनांक–19.02. 2026 को पारित आदेश की कंडिका	नियमावली के आलोक में निर्धारित कार्य	क्रियान्वयन किया जाना है
1	2	3	4
1.	कंडिका–14 (i)	Councilor/Mayors and their Chairpersons, Corporator, or Ward Member, being the primary elected representative of the people, are hereby designated as the lead facilitators for source-segregation education. It is their statutory duty to enrol every citizen within their ward in the implementation of the SWM Rules, 2026.	सभी नगर निकाय द्वारा
2.	कंडिका–14.2	To email photographic evidence alongside their compliance reports to the offices of the District Collector to verify actual progress in waste removal and infrastructure readiness	
3.	कंडिका–14.3	ULBs shall issue a copy of this order to all identified Bulk Waste Generators (BWGs) immediately. All BWGs must be fully statutory compliant by 31.03.2026.	
4.	कंडिका–14.6	To maintain a strict binary approach to waste management with effect from 01.04.2026 in accordance with the SWM	

D:\Rahul\Section -13\2025-2026\Nitish\Letter\deputy sec.docx

201

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

335

		Rules, 2026: □ Four-stream segregation of wet, dry, sanitary, and special care is mandated. □ Separate, time bound action plan is activated to address, treat and remedy legacy waste dumpsites.	
5.	कंडिका–18.7 (d)	Awareness and Participation: Local bodies are mandated to create public awareness campaigns to educate waste generators. Generators must be educated on minimizing waste, practising home composting,	
6.	कंडिका–18.7 (c)	Focus on Medium to Large Generators (Bulk Waste Generators): BWGs must register on the centralised online portal. They are required to set up and operate adequate wet waste processing facilities on-site. If unable to process waste onsite, they must procure EBWGR Certificates from the local body. Local bodies will undertake periodic audits of the actual waste generated by BWGs to ensure compliance.	
7.	कंडिका–14 (ii)	a) District Collectors to conduct infrastructure audits of solid waste management. b) District Collectors to communicate the identified problems and the steps taken by the stakeholders to the Chief Secretary in a time-bound manner. c) Every local body must establish and communicate an outer time-limit within which 100% compliance will be achieved.	सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी नगर निकाय द्वारा
8.	कंडिका–14.1	To oversee the establishment, execution and handling of Municipal Solid Waste by the corporations/municipalities/gram panchayats within their jurisdiction and the non-compliance report by any of the local bodies/areas be communicated to the parent department in the State and at the Central levels.	सभी जिला पदाधिकारी द्वारा
9.	कंडिका–18.7 (b)	Designate the committees so established as one established under the SWM Rules, 2026, viz, District Level: The District Magistrate or District Collector is empowered to review the performance of local bodies at least once in a quarter. They must ensure the urban-rural convergence of sanitary landfills and common waste processing plants.	

2. साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावाली, 2026 की कंडिका–39 में नगर निकायों के कर्त्तव्यों का विस्तृत विवरण अंकित है, जिसका अनुपालन नगर निकायों द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 6174/2023, Bhopal Municipal Corporation vs. Dr. Subhash C. Pandey & Others. मामले में दिनांक–19.02.2026 को पारित आदेश एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावाली, 2026 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

ction-13\2025-2026\Nitish\Letter\deputy sec.docx
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

4. अतः अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 का अनुपालन ससमय करना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरकार के उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांकः–13/SBM (न्याय०)-7-11/2026 921 पटना, दिनांकः– 20/03/26

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारत सरकार/ सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–13/SBM (न्याय०)-7-11/2026 921 पटना, दिनांकः–20/03/26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन) के आशुलिपिक, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना एवं Team Leader SBM-PMU (nodalofficersbmbihar1@gmail. com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक–13 / SBM (विविध)–14 / 2025 (पार्ट–I) 1562 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
(नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय)

प्रेषक,

विनय कुमार भा०प्र०से०
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,
नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद / सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 12/5/26

विषय– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 6174/2023, Bhopal Municipal Corporation vs Dr. Subhash C. Pandey & others मामले में दिनांक–05.05.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबंध मे कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 6174/2023, Bhopal Municipal Corporation vs Dr. Subhash C. Pandey & others मामले में दिनांक–05.05.2026 को पारित न्यायादेश (संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है, पारित न्यायादेश कंडिकावार निम्नवत् है:–

कंडिका 4– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 23 के तहत अधिसूचना जारी करने और देश भर के जिला पदाधिकारी को एक वर्ष की अवधि के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 की निगरानी, प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में शक्तियां सौंपने का निर्देश देते हुए एक स्पेशल सेल गठित करने का निर्देश दिया गया, जो न केवल कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, बल्कि विशेष परिस्थितियों में नियमो की अवहेलना करने वाले Bulk Waste Generator को पानी / बिजली की आपूर्ति बंद करने के निर्देश भी जारी करेगा।

जिला पदाधिकारी के माध्यम से डंपिग स्थलों का वर्चुअल निरीक्षण करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन के आधार पर हर पखवारे में एक रिर्पोट तैयार कर विभाग को भेजा जाना है।

कंडिका 5– उक्त स्पेशल सेल में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के क्षेत्रीय अधिकारी को संलग्न किया जाना है जो अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आनेवाले अधिकृत और अनाधिकृत डम्प यार्डो / स्थलों का मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और संबंधित फोटोग्राफ एवं प्रतिवेदन संबंधित जिला

Scanned with OKEN Scanner

पदाधिकारी तथा नगर निकायों को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजेंगे। नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के परिवहन, प्रबंधन और निपटान स्थानीय नगर निकायों के अधिकृत वाहनों द्वारा किया जाएगा।

कंडिका 6– जिला पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाना है।

कंडिका 7.1– जिला पदाधिकारी दिनांक–19.02.2026, 29.04.2026 एवं 05.05.2026 को पारित न्यायादेशों को संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/पंचायत सचिवों को उपलब्ध कराएंगे, जो उक्त न्यायादेशों को सभी निर्वाचित वार्ड सदस्यों/वार्ड पार्षदों को सूचित करेंगे।

कंडिका 7.2– ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियमों का पालन करने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्थानीय प्राधिकारण/स्थानीय नगर निकाय को राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ–साथ नियमों का पालन नहीं करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कंडिका 7.3– सभी नगर निकायों द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सभी नगर निकायों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान कर सके।

कंडिका 9– सभी नगर निकायों को निदेश दिया जाता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत Form-IV को 15 मई तक पूर्ण रूप से भरकर विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि समेकित प्रतिवेदन मंत्रालय को उपलब्ध कराया जा सके (Form-IV google link-https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QAOTvU-T1mKWwNCeQlcuDfeolTdjg1PFsWTJ7no_pv0/edit?usp=sharing)।

कंडिका 10– पर्यटन स्थल/तीर्थ स्थल वाले नगर निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुसार निकाय को साफ एवं स्वच्छ रखने हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी और उसकी लगातार निगरानी की जायेगी।

कंडिका 11– सभी नगर निकायों को निदेश दिया जाता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (समय–समय पर संशोधन के अनुसार) के कार्यान्वयन हेतु कार्य सूची तैयार की जाए। जिसमें 'बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपविधि, 2022" में दिये गये प्रावधानों को भी संलग्न किया जाए, इसके साथ–साथ सभी नगर निकायों में Bulk Waste Generator (BWG) की पहचान करते हुए उन्हें EPR पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए।

कंडिका 14.1– सभी नगर निकायों को निदेश दिया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए योजना से संबंधित राशि का उपयोग किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

कंडिका 14.4– जो नगर निकाय Bio CBG Plant अधिष्ठापन हेतु सभी मानको को पूर्ण करते हैं, उन्हें निदेश दिया जाता है कि Bio CBG Plant के अधिष्ठापन में Corporate Social Responsibilities के तहत राशि प्राप्त करने हेतु कम्पनी से समन्वय स्थापित किया जाए।

कंडिका 18– सभी नगर निकाय को निदेशित किया जाता है कि जहाँ भी Legacy Waste Dumpsite उपलब्ध है, उसे जल्द से जल्द Remediate करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कंडिका 19– सभी जिला पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक–1414, दिनांक–01.05.2026 के माध्यम से Mobile Court की स्थापना हेतु निदेशित किया गया है। सभी नगर निकायों से अनुरोध है कि संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

कंडिका 21 (a)– सभी नगर निकायों को निदेश दिया जाता है कि निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत श्रोत पर कचरे का पृथक्कीकरण को सुनिश्चित करवाया जाए, इस कार्य में Bulk Waste Generator पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी Waste Generator की मैपिंग की जाए तथा नियमो का पालन नहीं करने वालों पर चालान जारी किया जाए।

कंडिका 21 (b)– सभी नगर निकायों में कचरा संग्रहण और परिवहन व्यवस्था को उन्नत बनाया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कचरे का द्वितीयक परिवहन (Secondary Transportation) पूरी तरह से बंद वाहन के माध्यम से हो।

कंडिका 21 (c)– नगर निकाय प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए Garbage Vulnarable Point (GVP) की पहचान करेंगे और उसकी सफाई सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन जगहों पर पुनः कचरा जमा ना हो इसके लिए कचरे का बेहतर उठाव सुनिश्चित करते हुए नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाए।

कंडिका 21 (d)– नगर निकायों में अधिक भीड़–भाड़ वाले सभी क्षेत्र की पहचान की जाए, जहाँ कचरा जमा होने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए vendor पर सख्त enforcement लगाया जाए। दिन में दो बार sweeping, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त man power की व्यवस्था, एकल उपयोग प्लास्टिक निषेद्य क्षेत्र की घोषणा के साथ, सख्ती से लागू कराया जाए। उक्त कार्य हेतु स्वच्छता मार्शल (गश्ती दल) बनाया जाए।

कंडिका 21 (e)– ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक Special purpose vehicle स्थापित किया जाए जो सभी प्रकार के अपशिष्टों के प्रसंस्करण में विशेषज्ञता रखता हो। Collection एवं Transportation का कार्य नगर निकायों का है जबकि प्रसंस्करण संयत्रों का कुशल संचालन Special purpose vehicle की विशेषज्ञता हो सकता है, संग्रह और परिवहन का कार्य Special purpose vehicle से करवाया जा सकता है।

कंडिका 21 (f)– नगर निकायों को अपने कुल कोष का 30 प्रतिशत स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवंटित करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

330

कंडिका 21 (g)– सभी नगर निकाय शहरी स्वच्छता को प्राथमिकता देंगे, इसके लिए स्वच्छ वार्ड रैंकिंग की गतिविधियों का आयोजन किया जाए, जिससे वार्ड को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए वार्ड स्तर पर वार्ड सदस्य / वार्ड पार्षद की सहायता से वार्ड स्वच्छता कमिटी का गठन किया जाए, जिसमें वार्ड के चयनित सदस्य स्वेच्छिक सदस्य होंगे और इस कमिटी की सहायता से स्वच्छ वार्ड रैंकिंग की गतिविधियों का नेतृत्व किया जाएगा।

कंडिका 21 (h)– शहर के नये नियोजित विस्तारित क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र निर्धारित किया जाना है।

कंडिका 21 (i)– किसी भी नगर निकाय में कचरे की Dumping या Legacy dumpsite नहीं होना चाहिए। प्रसंस्करण के उपरान्त निकलने वाले Rejects को ही Sanitary Scientific Landfill में भेजा जाएगा। विकेन्द्रिकृत अपशिष्ट प्रबंधन स्थलों का उपयोग बच्चों और अन्य नागरिकों को शिक्षित करने के लिए भी किया जाए।

कंडिका 21 (j)– सभी वार्डों के आस–पास Reduce, Reuse and Recycle (RRR) केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए ताकि नागरिक इसका उपयोग अपनी इस्तेमाल की गई चीजों जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कपड़े, किताब आदि को दान करने के लिए कर सके।

कंडिका 21 (k)– प्रत्येक बड़े शहर को संबंधित औद्योगिक इकाईयों के साथ tie-up किया जाना है, ताकि Material Recovery Facility (MRF) औद्योगिक रिसाईक्लिंग के लिए pickup point बन सके और नगर निकाय इसी के माध्यम से Extended producer responsibility certificates प्राप्त कर सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–13 / SBM (विविध)–14 / 2025 (पार्ट–I) 1562 पटना, दिनांक– 12.05.25

प्रतिलिपिः–सयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारत सरकार / मुख्य वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग / सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

F:\kamlesh\2026-2027\Nitish\Letter\Principal Secretary.docx

Scanned with OKEN Scanner